



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :- एफ(3) रालसा/डीएस-द्वितीय/311


दिनांक :- 27.06.2017

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पैरा लीगल वॉलियन्टर्स स्कीम संशोधित एवं लीगल एड क्लिनिक स्कीम-2010 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए पैनाल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

क. सं.	विवरण	वर्तमान में भुगतान किया जा रहा मानदेय	संशोधित मानदेय
1.	पैनाल अधिवक्ता	500 रुपये प्रति विजिट	1000 प्रतिदिन (अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह)
2.	पैरा लीगल वॉलियन्टर्स	250 रुपये प्रति विजिट	500 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह)

अतः उक्त संशोधित मानदेय दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होगा।


(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)


क्रमांक 9934-9984

दिनांक 27-06-2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है-

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इन्वार्ज, मीडियेशन राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
8. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
9. उपसचिव प्रथम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. उपसचिव एक्शन प्लान एण्ड एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
11. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
12. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
13. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
14. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

Upload on our
website
Seen & file
28/6/17


उप सचिव -II 27/06/17